जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 48 संख्याः 84 प्रभात कोटा, शुक्रवार 6 जनवरी, 2023 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

अमेरिका के मिडवैस्ट और साउथ वैस्ट की घनी झाड़ियों में जब इस पक्षी की झलक दिखाई पड़ती है तो यह बिल्कुल साधारण नज़र आता है, लेकिन जब इसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है तो तुरंत पहचान में आ जाता है। इसकी आवाज़ ऐसी लगती है मानो इसके मुंह में कंचे भरे हों। हालिया वर्षों में प्राकृतिक आवासीय क्षेत्र में बैल्स' वीरिओ नाम के इस पक्षी की आबादी काफी कम हो गई है क्योंकि यह अक्सर काओबर्ड चिड़िया की परजीविता का शिकार होता है। बैल्स' वीरिओ के अधिकांश जोड़े अपने बच्चों की बजाय काओबर्ड के बच्चे पालते हैं। हालांकि साउथ ईस्ट में इनकी आबादी स्थिर है पर मिडवैस्ट, खासकर कैलिफोर्निया में इनकी आबादी घट रही है, जहां ये पक्षी संकटग्रस्त हैं। आवास विनाश और काओबर्ड की परजीवी प्रवृत्ति इनके लिए बड़ा खतरा है। कीड़े इनका मुख्य भोजन हैं, वैसे ये बैरी (बदरी) भी खाते हैं, पर प्रजनन काल में कीड़े ही ज्यादा खाते हैं। घोंसला बनाने वाले क्षेत्र की सुरक्षा नर पक्षी करता है और इसके लिए वह अनवरत गाता रहता है। ये पक्षी छोटी झाड़ियों में और आमतौर पर जमीन से 2 से 5 फीट ऊपर ही घर बनाते हैं। इनका घोंसला असल में एक छोटे हैंगिंग कप सरीखा होता है, जिसे ये पक्षी खरपतवार, पत्तियों और पेड़ की छाल को मकड़ी के जाले के रेशों से बांधकर बनाते हैं। घोंसले के अंदर पंख, मॉस आदि बिछा देते हैं। मादा 3 से 5 अण्डे देती है। सफेद रंग के, भूरी या काली चित्ती वाले अण्डों को नर-मादा दोनों सेते हैं पर मादा ज्यादा सम य देती है। अंडों से 14 दिन बाद बच्चे निकल आते हैं और 11-12 दिन में ही घोंसले से बाहर निकलना शुरु कर देते हैं। लेकिन माता-पिता इसके बाद भी तीन सप्ताह तक बच्चों को भोजन उपलब्ध करवाते हैं।

नड्डा का कार्यकाल बढ़ेगा: लोकसभा चुनाव तक भाजपाध्यक्ष रहेंगे

यह निर्णय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जो 16-17 जनवरी को दिल्ली में आयोजित की गई है, में होगा

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 जनवरी। नई दिल्ली में 16-17 जनवरी को होने वाली भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की द्विदिवसीय मीटिंग में, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा का कार्यकाल 2024 के लोकसभा चुनावों तक बढ़ाये जाने के निर्णय के अनुमोदित होने की संभावना है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। अनेक पूर्ववर्ती पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की तरह ही, नड्डा के कार्यकाल में वृद्धि किये जाने की संभावना है ताकि 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों तथा उसके बाद होने वाले 2024 के आम चुनावों से पहले के इस दौर में पार्टी की संगठनात्मक निरन्तरता का भाव बना रहे।

अपेक्षाकृत कम चर्चित, किन्तु मिलनसार प्रकृति वाले नड्डा, जिनके आर.एस.एस. के साथ अच्छे संबंध हैं, भाजपा के संगठनात्मक काम-काज एवं समन्वय के मामले में बहुत महत्वपूर्ण (असैट) माने जाते हैं। नड्डा के अध्यक्षता-काल में, भाजपा ने बहुत सी महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा उत्तराखण्ड में सत्ता का बना रहना तथा बिहार में किया गया शानदार प्रदर्शन भी शामिल है। जहाँ तक उनके कमजोर पक्ष का प्रश्न है, उनके गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस के हाथों भाजपा की पराजय उनके लिये परेशानी का सबब बन गई तथा इससे पूर्व पश्चिम बंगाल में भी भाजपा जनादेश को अपने पक्ष में लाने में भी असफल रही थी।

ऐसी आशा की जा रही है कि शीघ्र ही होने जा रही भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में भाजपा नेता राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीतियों पर विचार-विमर्श करेंगे। मीटिंग में 2024 के चुनावों से संबंधित आगामी कार्यक्रमों, योजनाओं तथा गतिविधियों के प्रस्तावों एवं रिपोर्टों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

यह संकेत देते हुये कि अयोध्या का राम मंदिर भाजपा की विभिन्न प्रकार की स्कीमों में अब भी अपनी प्रमुखता एवं श्रेष्ठता कायम रखे हुये है, गृह मंत्री अमित शाह ने आज घोषणा की कि अगले वर्ष 1 जनवरी को राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा तथा इस दिन उसका उद्घाटन किया जा सकेगा। शाह ने यह बयान त्रिपुरा के अगरतला नगर में दिया, जहाँ भाजपा मुख्यमंत्री माणिका साहा के नेतृत्व में आगामी चुनावों की तैयारी कर रही है।

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पिछली मीटिंग गत वर्ष अक्टूबर में हैदराबाद में हुई है।

- नड्डा का कार्यकाल इसी जनवरी माह में पूरा हो रहा था, परन्तु संगठन में निरन्तरता (कन्टिन्युटी) बनाये रखने के लिए अगले वर्ष लोकसभा चुनाव तक नड्डा को भाजपाध्यक्ष रखा जायेगा।
- नड्डा के अब तक के कार्यकाल की उपलब्धि रही है, यू.पी. में भाजपा द्वारा बहुमत हासिल करना तथा गुजरात व उत्तराखण्ड के चुनाव में भी विजयश्री प्राप्त करना।
- दूसरी ओर नड्डा के गृह राज्य हिमाचल में भाजपा की सरकार बनाने में असफलता तथा पश्चिम बंगाल में भाजपा द्वारा सभी कोशिशों के बावजूद बहुमत हासिल नहीं करना, नड्डा के कार्यकाल की ''नैगेटिव उपलब्धि'' मानी जा रही है।

राहुल गांधी का आगामी सप्ताह में जैसलमेर दौरा प्रस्तावित?

जयपुर, 5 जनवरी (का.प्र)। रक्षा मंत्रालय की संसदीय कमेटी 3 दिन जैसलमेर दौरे पर रहेगी। इस दौरान आठ जनवरी को पोकरण और 9 व 10 जनवरी को जैसलमेर का कार्यक्रम है। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी भी इस संसदीय कमेटी के सदस्य के नाते जैसलमेर आ सकते हैं। राहुल गांधी को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त होने के चलते पुलिस व प्रशासन भी दौरे की तैयारियों में जुट गया है।

- रक्षा मंत्रालय की संसदीय कमेटी 8-10 जनवरी को जैसलमेर दौरे पर आ रही है और इस कमेटी के सदस्य होने के नाते राहुल गांधी भी जैसलमेर आ सकते हैं।

स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस अपने 4 दिन के दौरे को लेकर राजस्थान आ रही है। कमेटी 7 जनवरी को जोधपुर रहेगी, 8 जनवरी को पोकरण और 9 व 10 जनवरी को जैसलमेर के दौरे पर रहेगी। बताया जा रहा है कि कुल 32 लोग जैसलमेर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान यहां बैठक भी लेंगे। संसदीय

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने पर रोक लगायी सुप्रीम कोर्ट ने

सात दिन में अतिक्रमण, जिनमें रिहायशी मकान, पानी की टंकी, सरकारी स्कूल व अस्पताल आदि भी हैं, को हटाने के आदेश दिये थे उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 जनवरी। हल्द्वानी में रेलवे की अतिक्रमणशुदा जमीन पर रह रहे 50,000 से ज्यादा लोगों को एक बड़ी राहत देते हुये, सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश पर 'स्टे' लगा दिया, जिसमें उन लोगों को 7 दिन में हटा दिये जाने के निर्देश दिये गये थे।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल तथा अभय एस. ओका की बैंच ने उन स्पेशल लीव पिटिशन्स पर उत्तराखण्ड सरकार तथा रेलवे को नोटिस जारी कर दिये हैं, जो उच्च न्यायालय के 20 दिसम्बर के बड़े पैमाने पर बेदखली के आदेश के खिलाफ दायर की गई थीं।

इस प्रकरण की अगली सुनवाई के लिये 7 फरवरी की तारीख देते हुये, बैंच ने उत्तराखंड एवं रेलवे को इसका ''व्यवहारिक समाधान'' ढूंढने के लिये कहा है। बैंच ने कहा कि ये कब्जाधारी लोग इस जमीन पर दशकों से रह रहे हैं तथा लीज एवं खरीद के आधार पर अपने अधिकार का दावा कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति कौल ने कहा, ''लोग 1947 के बाद यहाँ आये थे तथा जमीनें खरीद ली थी। लोग यहाँ अनेक वर्षों से रह रहे हैं। इनके पुनर्वास की व्यवस्था

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सुप्रीम कोर्ट का तर्क था, इस समस्या का ह्यूमन (इंसानी) पक्ष भी है, क्योंकि कई लोग तो देश के विभाजन के बाद यहां आकर इस भूमि पर बसे हैं तथा कुछ ने भूखंड नीलामी में खरीदा है, आदि।
- अतः एक उपयुक्त पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराये बिना, 50,000 इंसानों को कैसे हटाया जा सकता है।
- सरकारी एडवोकेट का कहना था कि, भूमि रेलवे की है तथा रेलवे को अपनी गतिविधि व विस्तार करने के लिये अपनी यह भूमि चाहिये। विस्तार इसलिये आवश्यक है क्योंकि हल्द्वानी रेलवे का महत्वपूर्ण ''हब'' है तथा यहां से रेलवे की सुविधाएं उत्तराखण्ड में प्रवेश करती हैं।

सम्मेद शिखर के लिए पायलट ने केन्द्र सरकार को चिट्ठी भेजी

जयपुर, 5 जनवरी (का.प्र.)। जैन तीर्थ स्थल सम्मेद शिखरजी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने पर जैन समाज पूरे देश में विरोध कर रहा है। अब राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी इस मामले में केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी को पत्र लिखकर इस फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है।

पायलट ने पत्र के जरिए कहा है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से हाल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने झारखण्ड के जैन तीर्थ सम्मेद शिखर के संरक्षण के लिए केन्द्रीय पर्यटन मंत्री पी. किशन रेड्डी को पत्र लिखा और जैन समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की अपील की।

हरियाणा के मु.मंत्री सुप्रीम कोर्ट से शिकायत करेंगे पंजाब की

मुख्यमंत्री खट्टर की शिकायत है कि, सुप्रीम कोर्ट के दो निर्णयों के बावजूद भी पंजाब सतलज-यमुना-लिंक नहर बनाने में भारी आनाकानी कर रहा है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 जनवरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज कहा कि पंजाब सतलज-यमुना लिंक (एस.वाय.एल.) नहर पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इंकार करता रहा है। वह शीर्ष अदालत को पंजाब के इस अनिच्छुक रवैये से अवगत करवाएंगे।

पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना है कि पंजाब के पास अतिरिक्त जल नहीं है, जबकि खट्टर इस पर जोर देते हैं कि पंजाब को इसके समाधान के लिए नहर बनवानी चाहिए।

केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने एस.वाय.एल. नहर के मुद्दे को लेकर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के साथ आज नई दिल्ली में एक मीटिंग ली।

खट्टर ने मीटिंग का ब्यौरा देते हुए बताया कि मीटिंग में भी किसी सर्वानुमति पर नहीं पहुंचा जा सका। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में घोषणा की थी कि एस.वाय.एल. का निर्माण किया जाना चाहिए, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा पंजाब व हरियाणा की इस मुद्दे पर आहूत बैठक में भी गुरूवार को पंजाब ने पुराना तर्क दोहराया कि, पंजाब में ''पानी है ही नहीं''।
- खट्टर ने आरोप लगाया कि, पंजाब हर बार मूल मुद्दे पर कुछ बात नहीं करता, तथा बार-बार यह ही दोहराता है कि, पंजाब के पास पानी नहीं है।
- सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निरस्त करने के लिये पंजाब सरकार ने 2004 में विधानसभा में एक विधेयक भी पारित करवाया था। हालांकि यह विधेयक अब वापस ले लिया गया है, पर, पंजाब के मु.मंत्री मान अभी विधेयक के निरस्तीकरण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

'नामांकन पत्र में साढ़े चार करोड़ रू. के कर्ज़ की जानकारी क्यों नहीं दी'

जयपुर, 5 जनवरी (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्र में चार करोड़ 44 लाख रुपए की देनदारी की जानकारी छिपाने और लोन की किस्त नहीं चुकाने के मामले में किशनपोल विधानसभा से एमएलए अमीन कागजी, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। जस्टिस इन्द्रजीत ने यह आदेश आईआईएफएल होम फाइनेंस लि. की याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता कंपनी ने राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले 31 जुलाई 2017 को अमीन कागजी को सांगानेर की सांगा आशियाना विलाज योजना में 4.44 करोड़ रुपए का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- राजस्थान हाई कोर्ट ने विधायक अमीन कागज़ी से पूछा। गौरतलब है कि, अमीन कागज़ी ने अपने नामांकन पत्र में न तो कर्ज़ की जानकारी दी और न ही अभी तक कर्ज़ की किश्त ही अदा की है।

सम्मेद शिखर नहीं बनेगा पर्यटन केन्द्र

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 जनवरी। अपने विरासत स्थलों के संरक्षण में लगे जैन धर्मावलम्बियों के लिए यह एक बड़ी जीत है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने झारखण्ड की टूरिज़्म और ईको टूरिज़्म गतिविधियों सहित सम्मेद शिखरजी पर्वत क्षेत्र से संबंधित वर्ष 2019 की ईको संवेदी क्षेत्र अधिसूचना पर गुरूवार को रोक लगा दी। मंत्रालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह पार्श्वनाथ वन्यजीव अभयारण्य में पर्यटन की अनुमति दिए जाने के प्रयास को लेकर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- केन्द्र सरकार ने तीन साल पहले जारी अपना वह आदेश वापस ले लिया है, जिसके तहत झारखण्ड के सम्मेद शिखर को इको टूरिज़्म क्षेत्र बनाने का फैसला किया था।

भ्रष्टाचारियों की पहचान छिपाने के आदेश पर केन्द्र व राज्य सरकार में विरोधाभास उभरा

मुख्यमंत्री ने कहा, कई मामलों में अफसर को झूठा फंसाया जाता है, बदनामी नहीं हो, इसलिए ऐसा किया जा रहा है

जयपुर, 5 जनवरी (का.प्र.)। भ्रष्टाचारियों के फोटो और नाम नहीं उजागर करने के एसीबी के कार्यवाहक डीजी के आदेशों पर जहां मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच ही मतभेद सामने आ गए हैं। वहीं इस आदेश के बाद कहा जा रहा है कि जहां सरकार पहले एसीबी के जरिए भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगातार कार्यवाहियां होने पर अपनी पीठ थपथपा रही थी। लेकिन अचानक इस तरह का आदेश निकाल कर कहीं भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। ऐसे में सरकार जहां प्रतिपक्ष के निशाने पर आ गई है वहीं सरकार के अंदर भी इस आदेश को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है।

एसीबी के कार्यवाहक डीजी हेमंत प्रियदर्शी की ओर से निकाले गए इस आदेश को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एसीबी डीजी ने आदेश जारी किया है। लेकिन मुख्यमंत्री के उलट खाद्य मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने इस आदेश का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे आदेशों से सरकार के किए कराए पर पानी फिर जाएगा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आदेश के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि ''कई मामले ऐसे होते हैं, जिसमें अफसर को झूठा फंसाया जाता है। उसे बदनामी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि जब तक यह साबित न हो जाए कि उसने भ्रष्टाचार किया है, उसकी पहचान गुप्त रखी जाए। यह सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों का फैसला है।'' इधर, जयपुर दौरे पर आए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ''भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस होना चाहिए। देश का काननू भी यही कहता है। जहां तक भ्रष्टाचारियों की पहचान छिपाने का सवाल है तो जब तक सजा दिलाने और जांच में सहयोग करने के लिए हो तो अलग बात है, इसके अलावा तो बिल्कुल नहीं छिपानी चाहिए। भ्रष्टाचारियों के चेहरे कानून और समाज के सामने आने चाहिए, उनकी पहचान बिल्कुल नहीं छिपानी चाहिए।''

इसी आदेश को लेकर राजस्थान के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि ''मेरा यह मानना है कि डीजी ने एंटी करप्शन ब्यूरो का चार्ज लेते ही जो आर्डर निकाला, वह आर्डर रिजैक्ट होने वाला ही है। मैं उस आर्डर से सहमत नहीं हूं। मैं ही क्या कांग्रेस का कोई भी विधायक, मंत्री इस तरह की कार्रवाई का समर्थन नहीं करेगा। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या इस तरीके के डीजी के आर्डर को मान सकते हैं? सरकार इस तरह के ऑर्डर के साथ नहीं है। यह आर्डर निकाला गया है, यह आर्डर बिल्कुल गलत है। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे पूरे किए हुए काम पर पानी फिर जाए, हमने कांग्रेस सरकार की नीयत आपको बता दी।

खाचरियावास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप इस बात को जानते हैं कि इस देश में इनकम टैक्स और जीएसटी की कार्रवाई होती है। बड़े-बड़े व्यापारी जो टैक्स देते हैं, उनकी फोटो उनके नाम चलाकर हाईलाइट किए जाते हैं। बड़ी-बड़ी ऐजेन्सियां कार्रवाई करती है, बड़े-बड़े नेताओं के यहां पर, बिजनेसमैन के यहां कार्रवाई करते हैं, जो हजारों करोड़ का टैक्स भी देते हैं, उनके यहां पर कार्रवाई होती है तो उनके नाम फोटो सब उजागर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- जयपुर आए केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री बोले, भ्रष्टाचारियों के चेहरे कानून और समाज के सामने आने चाहिए।
- खाचरियावास ने कहा, आदेश बिल्कुल गलत, ऐसा करने से 4 साल के सारे कामों पर पानी फिर जाएगा।
- राजस्थान के कार्यवाहक डी.जी. ने आदेश निकाला है कि, अब भ्रष्टाचारियों के नाम उजागर करना गलत है। इस आदेश को विवादास्पद माना जा रहा है।